हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 1990

सं०सा०का०नि० 45/संवि/अनु० 309/90.---भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा वास्तुकला विभाग (ग्रुप-घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

भाग I---सामान्य

संक्षिप्त नाम ।

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला विभाग (ग्रुप-घ) सेवा नियम, 1990 कहे जा सकते हैं ।

परिभाषाएं ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :---

(क) "मुख्य वास्तुक" से अभिप्राय है, वास्तुकला विभाग, हरियाणा का मुख्य वास्तुक ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है :---

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; अथवा

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ङ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है :---

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि-पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(च) "वरिष्ठ वास्तुक" से अभिप्राय है, वास्तुकला विभाग, हरियाणा का वरिष्ठ वास्तुक ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा वास्तुकला विभाग में (ग्रुप-घ) सेवा।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अंतर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (i) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा कीनिया, यूगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका) और जंजीबार जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित हो कर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या

संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो निर्वाचन समिति को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले अगस्त के प्रथम दिन को या उससे पहले सतरह वर्ष की आयु से कम या तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी । अर्हताएं

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां, मुख्य वास्तुक द्वारा की जाएंगी।

अर्हताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट "ख" के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उपर्युक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिदिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में बोर्ड या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

निरर्हताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट द सकती है।

भर्ती का ढंग ।

9. (i) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :—

(क) दफ्तरी की दशा में :—

(i) सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) जकादार की दशा में :—

(i) सेवादारों में से पदोन्नति द्वारा ;

(ii) किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) सेवादार की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) फैरोखलासी की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में किसी पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) चौकीदार की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) झाड़ूकश की दशा में :—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

परिवीक्षा । 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये, और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

(क) परन्तु ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की निर्धारित विहित अवधि पूरी होने पर यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा :

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो :-

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करे ;

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :-

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो :—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया जाता है, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपने परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो :—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा-अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल हैं, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हैं, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिये ज्येष्ठता पृथक् रूप से निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम को प्रतिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी । अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहली की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगी ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है या हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम अधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू विधि के अधीन अपनाये गये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शक्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वह होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 10 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य को जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी ।

ढील देने की शक्ति ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबंध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृति ।

20. सेवा पर लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जायगी ।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	दफ्तरी	2	..	2	800—15—1010—द०रो०—20—1150 रुपए
2	जमादार	1	..	1	800—15—1010—द०रो०—20—1150 रुपए
2	सेवादार	24	..	24	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए
4	फैरोखलासी	2	..	2	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए
5	चौकीदार	1	..	1	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए
6	झाड़ूकश	2	..	2	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	दफ्तरी	..	1. सेवादार के रूप म 5 वर्ष के अनुभव सहित हिन्दी/अंग्रजी का ज्ञान
2	जमादार	..	1. सेवादार के रूप में 5 वर्ष के अनुभव सहित हिन्दी/अंग्रेजी का ज्ञान
3	सेवादार	(1) पांचवीं पास (2) कार्यालय में काम करने का ज्ञान रखने वालों को अधिमान दिया जाएगा	(1) पांचवीं पास (2) कार्यालय में काम करने का ज्ञान रखने वालों को अधिमान दिया जायेगा
4	फैरो खलासी	(1) पांचवीं पास (2) ड्राईंग के प्रिंटस को तय करने तथा काटने का ज्ञान	(1) पांचवीं पास (2) ड्राईंग प्रिंटस को तय करने तथा काटने का ज्ञान
5	चौकीदार	(1) प्राईमरी पास (2) तपूर्व सैनिकों को अधिमान दिया जायेगा	(1) प्राईमरी पास (2) भूतपूर्व सनिकों को अधिमान दिया जायेगा
6	झाड़ूकश	(1) हिन्दी/अंग्रेजी का ज्ञान (2) कार्यालय भवन की सफाई का अनुभव	(1) हिन्दी/अंग्रेजी का ज्ञान (2) कार्यालय भवन की सफाई का अनुभव

परिशिष्ट "ग"

[नियम 14(1)]

क्रमांक	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	दफ्तरी	मुख्य वास्तुक	(1) छोटी शास्तियां	मुख्य वास्तुक	सरकार	सरकार
			(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;			
2	जमादार	..	(ii) परिनिंदा ;			
			(iii) पदोन्नति रोकना			
3	सेवादार	..	(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को या एसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह			
4	फेरोखलासी					
5	चौकीदार					
6	झाड़कश					

1	2	3	4	5	6	7
			निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली			
			(v) वेतन वृद्धियां रोकना			
			(2) बड़ी शास्तियां			
			(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी			

1	2	3	4	5	6
		अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उनकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
		(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिस से वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिये साधारणतया रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड , पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;			

1	2	3	4	5	6
		(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;			
		(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी ;			
		(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिये सामान्यत: निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट "घ"

[नियम 14(2)]

क्रमांक	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1	दफ्तरी	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना	मुख्य वास्तुक	सरकार	सरकार
2	जमादार				
3	सेवादार	(ii) सेवा के किसी सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिये नियत आय के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति			
4	फैरोखलासी				
5	चौकीदार				
6	झाड़ूकश				

त्रिलोचन सिंह,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग ।